न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सि

अ

प्रकरण संख्या 44/2023

महावीर प्रसाद पुत्र दोलाराम, जाति जाट, निवासी खींवासर, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुं
निवासी सी–23, बसन्त विहार, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

— अ

बनाम

1. रामसिह राजावत, आर.ए.एस. हाल पीठासीन अधिकारी, बअदालत उपखण्ड अधिकारी,
   उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. जयनारायण पुत्र भैरूराम
3. संदीप पुत्र रामनिवास
4. जितेन्द्र पुत्र रामनिवास
5. सरिता पुत्री रामनिवास
6. सुमन पुत्री रामनिवास
7. निलम पुत्री रामनिवास
8. चन्दगीराम पुत्र दौलाराम
9. श्रीचन्द पुत्र दौलाराम
10. मोहनलाल पुत्र दौलाराम
11. भागीरथ पुत्र दौलाराम
12. घासीराम पुत्र दौलाराम
13. बिमला देवी पत्नी जगमाल सिह
14. अनिल उर्फ आशिष कुमार पुत्र जगमाल सिह
    समस्त जाति जाट, निवासीगण खींवासर, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
15. तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

— अन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0ए0 [illegible] बाबत मुकदमा उनवानी ज
वगै0 बनाम चन्दगीराम वगै0 प्रार्थना पत्र [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं [illegible] पेशी 22.02.20[illegible]

— — —

उपस्थित:–

1. श्री विजयपाल, अभिभाषक– आवेदक की ओर से।
2. श्री सन्दीप काजला, अभिभाषक– अनावेदक संख्या 2, 3 व 4 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 1 व 15 की ओर से।
4. अनावेदक सं0 5 लगायत 14 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 2

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातह अनावेदक संख्या 2 से 7 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनवानी जयनारायण वगै0 बनाम चन्दगीराम व 08/2022 अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट 1955 ता0 पेशी 22/02/2023 वास्ते बहस अ लम्बित है। आवेदक व अनावेदक संख्या 8 से 15 अदालत मातहत के यहां लम्बित प्रकरण में विप अनावेदक संख्या 2 से 7 राजनैतिक पहुंच वाले धनाढ्य व्यक्ति है। अनावेदक संख्या 1 अदाल उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के पीठासीन अधिकारी है और अनावेदक संख्या 8 से 14 के प्र दिनांक 23.01.2023 को आवेदक व अनावेदक संख्या 8 से 14 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 सी0पी0सी0 अदालत मातहत द्वारा खारीज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के राज अजमेर (राज0) मे निगरानी प्रस्तुत की है जो लम्बित है और सुनवाई हेतु आगामी ता0 पेशी 2 नियत है। आवेदक के द्वारा इस बाबत अदालत मातहत को लिखित में दिनांक 02.02.2023 को सू और निगरानी में प्रभावी आदेश पारीत होने तक प्रकरण की सुनवाई को स्थगित करने का नि जिसे अनावेदक संख्या 1 ने आदेश 13.02.2023 कें द्वारा अस्वीकार कर दिया और प्रकरण में अ हेतु ता0 पेशी 22.02.2023 नियत कर दी गई और मौखिक रूप से कहा कि दिनांक 22.02.2023 कर दिया जावेगा। यहां 13.02.2023 को विपक्षीगण संख्या 2 से 7 ने आवेदक को गांव में यह दिनांक 22.02.2023 को विपक्षी संख्या 1 से वे अपने हक में फैसला करवा लेगे और यह कहा संख्या 1 से बात हो गई है। दिनांक 15.02.2023 को आवेदक अपने निजी काम से कस्बा उदयपु तो आवेदक ने अनावेदक संख्या 3 को अदालत परिसर की तरफ जाते देखा तो आवेदक भी पीछे चला गया। अनावेदक संख्या 3 अदालत परिसर में विपक्षी संख्या 1 के चैम्बर में चला गया घण्टे बाद हंसता हुआ बाहर आया। इस दौरान अनावेदक संख्या 1 व 3 ने चेम्बर में चाय पान किया। चाय व नाश्ता चैम्बर में बाहर कैन्टीन से गया जो चेम्बर में ले जाते हुये आवेदक ने आंखे अनावेदक संख्या 3 ने चेम्बर से बाहर निकलते ही आवेदक को देखा तो आवेदक के पास आक कहा कि देख क्या रहा है। हमारी अनावेदक संख्या 1 से बात हो गई फैसला हमारे पक्ष में दि 2023 को हो जायेगा। इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 से 7 के व्यवहार से आवेदक को पूर्ण विश्व कि अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 से 7 के असर व प्रभाव में है और अनावेदक संख्य न्याय निर्णय नही करेगे बल्कि अनावेदक संख्या 2 से 7 के पक्ष में फैसला करेगे ऐंसी सुरत में निर्णय के लिए उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु सक्षम न्यायालय में स्थानान्तिरित किया जान आवश्यक है। अतः दरख्वास्त मुन्तकिली मय शपथ पत्र ... निवेदन है कि आवेदक का स्वीकार फरमाया जाकर बअदालत उप... में लम्बित प्रकर जयनारायण वगै0 बनाम चन्दगीराम व... मु0न0 08/20.. अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान अधिनियम 1955 ता0 पेशी 22.02.2023 को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तिरित का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड उदयपुरवाटी ने पत्रांक 378 दिनांक 13.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत कराया कि बिन्दू सं0 1 मे अंकित तथ्य आंशिक स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 मे अंकित तथ्य म निराधार हैं प्रार्थना पत्र अ0 धारा 151 सी0पी0सी0 का विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित कि

आवेदक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2023 के साथ किसी न्यायालय का कार्यवाही स्थगि दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया है। प्रकरण मे विधिनुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्द सं0 3, 4 अंकित तथ्य कानूनी है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत वाद पत्र उनवानी जयनारायण बनाम चन्द वगै0 मु0न0 08/2022 किस्म प्रार्थना पत्र अ0धारा 251क मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। पि यदि उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी को ऐतराज/आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ दौहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदक संख्या 2 से 7 राजनैतिक पहुंच वाले धनाढ्य व्यक्ति है। अन संख्या 1 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के पीठासीन अधिकारी है और अनावेदक 8 से 14 के प्रभाव में है। दिनांक 23.01.2023 को आवेदक व अनावेदक संख्या 8 से 14 द्वारा प्रस्तुत पत्र अ0 धारा 151 सी0पी0सी0 अदालत मातहत द्वारा खारीज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अ के राजस्व मण्डल अजमेर (राज0) मे निगरानी प्रस्तुत की है जो लम्बित है और सुनवाई हेतु आगा पेशी 20.02.2023 नियत है। आवेदक के द्वारा इस बाबत अदालत मातहत को लिखित में दिनांक 02.0 को सूचित किया और निगरानी में प्रभावी आदेश पारीत होने तक प्रकरण की सुनवाई को स्थगित क निवदेन किया जिसे अनावेदक संख्या 1 ने आदेश 13.02.2023 के द्वारा अस्वीकार कर दिया और प्र अन्तिम बहस हेतु ता0 पेशी 22.02.2023 नियत कर दी गई और मौखिक रूप से कहा कि दिनांक 2023 को निर्णय कर दिया जावेगा। यहां 13.02.2023 को विपक्षीगण संख्या 2 से 7 ने आवेदक को यह कहा कि दिनांक 22.02.2023 को विपक्षी संख्या 1 से वे अपने हक में फैसला करवा लेगे और य कि विपक्षी संख्या 1 से बात हो गई है। दिनांक 15.02.2023 को आवेदक अपने निजी काम स उदयपुरवाटी गया तो आवेदक ने अनावेदक संख्या 3 को अदालत परिसर की तरफ जाते देखा तो भी उसके पीछे पीछे चला गया। अनावेदक संख्या 3 अदालत परिसर में विपक्षी संख्या 1 के चैम्बर गया और आधा घण्टे बाद हंसता हुआ बाहर आया। इस दौरान अनावेदक संख्या 1 व 3 ने चेम्बर पानी व नाश्ता किया। चाय व नाश्ता चैम्बर में बाहर कैन्टीन से गया जो चेम्बर में ले जाते हुये आ आंखों से देखा। अनावेदक संख्या 3 ने चेम्बर से बाहर निकलते ही आवेदक को देखा तो आवेदक आकर हंस कर कहा कि देख क्या रहा है। हमारी अनावेदक संख्या 1 से बात हो गई फैसला हमा दिनांक 22.02.2023 को हो जायेगा। इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 से 7 के व्यवहार से आवेदक विश्वास हो गया कि अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 से 7 के असर व प्रभाव में है और अ संख्या 1 उचित न्याय निर्णय नही करेगे ब[illegible] के पक्ष में फैसला करेगे ऐं में उचित न्याय निर्णय के लिए उक्त प्रकरण को सुनवाई [illegible] न्यायालय में स्थानान्तिरित कि उचित व आवश्यक है। अतः क आवेदक [illegible] कर बअदालत अधिकारी उदयपुरवाटी की अदालत में ल[illegible] वगै0 बनाम चन्दगीर मु0न0 08/2022 अन्तर्गत धारा 251क [illegible] नियम 1955 ता0 पेशी 22.02.2 सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तिरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 2 लगायत 14 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 लगाय विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत कि धारा 251 क मे समरी ट्रायल चलती है। 6–6 माह की तारीखें नही दी जाती है। प्रार्थी ने अ मातहत मे कोई जबाब भी पेश नही किया। प्रकरण मे स्थगन नही थी। अदालत मातहत के पीठ अधिकारी ने नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है। प्रार्थी ने शीघ्र सुनवाई के लिए अ मातहत मे मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्त लिए कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फ जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 15 ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथ विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ग अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना मुकदमा स्थानान्तरण बाबत कोई ठोस व युक्तियुक्त कारण नही बताये है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थ खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उ अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा स्थानान्तरण बाब ठोस व युक्तियुक्त कारण नही बताये है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत ह अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली नम्बर से क जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझु
जिला कलक्टर झु

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:07 IST
Reason: SelfAttested